

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 30/6/2017

संख्या-3/आ01-02/2015 80 / कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पटना के अंतर्गत छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित लिपिकों को कार्यरहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 3 एवं 4 में अंकित पद पर स्थानान्तरण करते हुए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	नये पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1.	श्रीमती शीलू कुमारी	उपाधीक्षक, शा० शि०, कटिहार का कार्यालय	जिला खेल पदाधिकारी, पूर्णिया का कार्यालय
2.	श्रीमती कल्याणी देवी	मोईनुलहक स्टेडियम, पटना का कार्यालय	उपनिदेशक, शा० शि०, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
3.	श्री निर्मल कुमार	जिला खेल पदाधिकारी, पूर्णिया का कार्यालय	उपाधीक्षक, शा० शि०, कटिहार का कार्यालय
4.	श्री किरण कुमार झा	उपाधीक्षक, शा० शि०, किशनगंज का कार्यालय	मोईनुलहक स्टेडियम, पटना का कार्यालय


2. स्थानान्तरित लिपिकों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 15.07.2017 तक निश्चित रूप से नवपदस्थापित पद पर योगदान करेंगे तथा निश्चित रूप से छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय को योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जुलाई, 2017 का वेतन भुगतान नवपदस्थापित पद के विरुद्ध होगा।

3. पूर्व निर्गत आदेश संख्या-38 झापांक-586 दिनांक 30.06.2015 द्वारा स्थानान्तरित लिपिकों, जिन्हें अब तक विरमित नहीं किया गया है, उन्हें दिनांक 15.07.2017 तक निश्चित रूप से कार्यालय प्रधान द्वारा विरमित कर दिया जाय। यदि उक्त तिथि तक विरमित नहीं किया जाता है तो वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. पूर्व निर्गत विभागीय आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

झापांक 789 /

पटना, दिनांक 30/6/2017

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

झापांक 789 /

पटना, दिनांक 30/6/2017


प्रतिलिपि- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला खेल पदाधिकारी/संबंधित उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा/संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

झापांक 789 /

पटना, दिनांक 30/6/2017

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।